"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 62 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च 2017— फाल्गुन 12, शक 1938

### छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2017 (फाल्गुन 12, 1938)

क्रमांक-2220/वि. स./विधान/2016 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

## छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 2 सन् 2017)

# छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2017

**वित्तीय वर्ष 2016-2017 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.**

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र.-1) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए राज्य की संचित निधि में से 12,50,41,69,095 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2017 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए एक हजार दो सौ पचास करोड़ एकतालीस लाख उन्हत्तर हजार पंचानबे मात्र रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं एवं प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

## अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

| अनुदान का संख्यांक | सेवाएं और प्रयोजन | | निम्नलिखित से अनधिक राशियां | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | विधान सभा द्वारा अनुदत्त | संचित निधि पर भारित | योग |
| (1) | (2) | | | (3) | |
| | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| 03 | पुलिस | राजस्व | 21,79,00,000 | 0 | 21,79,00,000 |
| | | पूंजी | 4,40,00,000 | 0 | 4,40,00,000 |
| 06 | वित्त विभाग से संबंधित व्यय | पूंजी | 60,00,00,000 | 0 | 60,00,00,000 |
| 07 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय. | राजस्व | 70,00,00,000 | 0 | 70,00,00,000 |
| 08 | भू राजस्व तथा जिला प्रशासन | राजस्व | 1,93,79,25,000 | 0 | 1,93,79,25,000 |
| 10 | वन | राजस्व | 400 | 0 | 400 |
| 12 | ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय | पूंजी | 10,00,00,000 | 0 | 10,00,00,000 |
| 13 | कृषि | राजस्व | 10,36,37,000 | 0 | 10,36,37,000 |

| (1) | (2) | | (3) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| 15 | अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता. | राजस्व | 36,99,60,000 | 0 | 36,99,60,000 |
| 16 | मछली पालन | राजस्व | 2,58,20,000 | 0 | 2,58,20,000 |
| 17 | सहकारिता | राजस्व | 24,85,00,000 | 0 | 24,85,00,000 |
| 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | राजस्व | 0 | 3,26,195 | 3,26,195 |
| | | पूंजी | 100 | 0 | 100 |
| 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय. | पूंजी | 100 | 0 | 100 |
| 23 | जल संसाधन विभाग | पूंजी | 100 | 0 | 100 |
| 24 | लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल | पूंजी | 100 | 0 | 100 |
| 28 | राज्य विधान मंडल | राजस्व | 3,30,00,000 | 14,10,000 | 3,44,10,000 |
| 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | राजस्व | 2,92,00,000 | 0 | 2,92,00,000 |
| 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय. | राजस्व | 14,66,71,000 | 0 | 14,66,71,000 |
| | | पूंजी | 4,58,00,000 | 0 | 4,58,00,000 |
| 37 | पर्यटन | राजस्व | 4,29,00,000 | 0 | 4,29,00,000 |
| 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय. | पूंजी | 11,11,22,000 | 0 | 11,11,22,000 |
| 41 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना | राजस्व | 45,67,83,400 | 0 | 45,67,83,400 |
| | | पूंजी | 4,38,10,61,000 | 0 | 4,38,10,61,000 |
| 53 | अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता. | राजस्व | 3,53,22,000 | 0 | 3,53,22,000 |
| 64 | अनुसूचित जाति उपयोजना | राजस्व | 35,68,87,400 | 0 | 35,68,87,400 |
| | | पूंजी | 47,79,56,100 | 0 | 47,79,56,100 |
| 67 | लोक निर्माण कार्य-भवन | पूंजी | 100 | 0 | 100 |
| 75 | जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं | पूंजी | 100 | 0 | 100 |

| (1) | (2) | | (3) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| 80 | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता. | राजस्व<br>पूंजी | 79,37,59,000<br>9,91,95,000 | 0<br>0 | 79,37,59,000<br>9,91,95,000 |
| 81 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | राजस्व | 76,44,21,000 | 0 | 76,44,21,000 |
| 82 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता. | राजस्व | 37,95,58,000 | 0 | 37,95,58,000 |
| 83 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता. | राजस्व | 10,54,000 | 0 | 10,54,000 |
| | योग - | राजस्व<br>पूंजी | 6,64,32,98,200<br>5,85,91,34,700 | 17,36,195<br>0 | 6,64,50,34,395<br>5,85,91,34,700 |
| | वृहद योग | | 12,50,24,32,900 | 17,36,195 | 12,50,41,69,095 |

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 2 मार्च, 2017

**डॉ. रमन सिंह**
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

**"संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"**

**देवेन्द्र वर्मा**
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.